उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

उविनिआ (वितरण में उन्मुक्त अभिगमन हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004

अधिसूचना

दिनांक 08 जून, 2004

संख्या F-9(5)/RG/UERC/2004/342–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का निर्वाह करते हुए तथा इस सम्बन्ध में अन्य सभी शक्तियों से समर्थ होने पर, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों का सृजन करता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) ये विनियम, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (वितरण में उन्मुक्त अभिगमन हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004 कहलायेंगे।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह विनियम, दिनांक 08.06.2004 से प्रभावी होंगे।[1]

2. परिभाषाएं :

(1) 'अधिनियम' का अर्थ है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(2) 'आयोग' का अर्थ है, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग;

(3) 'राज्य' का अर्थ है, उत्तरांचल राज्य;

(4) इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्द तथा भाव, जिनकी यहाँ व्याख्या नहीं की गयी है, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में व्याख्या की गयी है, उनका वही अर्थ होगा, जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है।

3. अनुप्रयोग की परिधि :

ये अधिनियम, सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होंगे।

4. वितरण में उन्मुक्त, अभिगमन हेतु पात्रता तथा पूरी की जाने वाली शर्तें :

(1) इन में से विनियम 5 के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार उन्मुक्त अभिगमन की प्रविष्टि के चरणों के अनुरूप, उपभोक्ता उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य होंगे। यह इस शर्त पर होंगे, कि प्रणाली में कार्यान्वयन सम्बन्धी बाध्यता न हो तथा समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित व्हीलिंग प्रभार का भुगतान हो।

साथ ही यह भी कि, राज्य में वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में ऐसे उपभोक्ता की सुपुर्दगी जैसी किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो ऐसी विद्युत के प्रवहण या व्हीलिंग सहित, उपभोक्ता द्वारा ऐसा उन्मुक्त अभिगमन, इन शर्तों के अधीन होगा कि उस पर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जैसा आयोग निर्धारित करे, वैसे अधिभार का भुगतान करना होगा।

5. उन्मुक्त अभिगमन की चरणबद्धता :

(1) उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति, कार्यान्वयन सम्बन्धी बाधाओं तथा अन्य सुसंगत तथ्यों की शर्त पर निम्न चरणों में दी जायेगी :–

---

[1]यह विनियम दिनांक 19.06.2004 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

क्र0सं0	चरण	उपभोक्ता द्वारा उन्मुक्त अभिगमन के आवंटन हेतु चाही गई क्षमता	उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दिये जाने तक की तिथि
1.	चरण–1	5 MW तथा इससे ऊपर	31 दिसम्बर, 2005
2.	चरण–2	3 MW तथा इससे ऊपर	31 दिसम्बर, 2007
3.	चरण–3	1 MW से ऊपर	31 दिसम्बर, 2008

(2) कार्यान्वयन सम्बन्धी बाध्यताओं तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31.12.2008 के पश्चात् किसी भी समय जो उस की दृष्टि से साध्य हो, 1 मेगावाट के बराबर या उससे कम क्षमता की अपेक्षाओं वाले उपभोक्ताओं को आयोग उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति प्रदान कर सकता है।

6. आवंटन की प्राथमिकता :

उन्मुक्त अभिगमन का निर्णय, पहले आओ, पहले पाओ, के आधार पर किया जायेगा।

7. उपलब्ध क्षमता :

उन्मुक्त अभिगमन चाह रहे, व्यक्ति के आवेदन पर विचार करने के पश्चात् जिस उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी जा रही है, उसे प्रभावित करने वाली कार्यान्वयन सम्बन्धी बाध्यताओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति सहित प्रणाली में उपलब्ध क्षमता की उपलब्धता का वितरण अनुज्ञापी द्वारा निर्धारण किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के अन्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के उद्देश्य से प्रणाली में कार्यान्वयन सम्बन्धी बाध्यताओं में निम्न बातें सम्मिलित होंगी, प्रणाली में पर्याप्त क्षमता की उपलब्धता, जहां विद्युत की व्हीलिंग होनी है, वहां उसके सही मापन तथा आकलन हेतु समुचित मीटरिंग व ऊर्जा आकलन प्रणाली तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनका, आपूर्ति क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत आपूर्ति के कार्य में, प्रभाव पड़ता है।

8. उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया :

(1) उन्मुक्त अभिगमन चाह रहे, व्यक्ति सम्बन्धित वितरण अनुज्ञापी को आवेदन करेंगे।

(2) आवेदन में, किसी निश्चित समय बिन्दु पर प्रणाली में व्हीलिंग की जाने वाली अधिकतम ऊर्जा का वितरण, व्हीलिंग की जाने वाली इकाईयों की संख्या, अन्तःक्षेप का बिन्दु, निकासी का बिन्दु, उन्मुक्त अभिगमन की समयावधि एवं घंटे तथा तदनुसार आवेदक के लिए प्रणाली में उदिष्ट क्षमता तथा सम्बन्धित वितरण अनुज्ञापी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी, शामिल होगी।

(3) वितरण अनुज्ञापी, यदि आवश्यक हो, तब स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी तथा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर से परामर्श कर उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति देने पर, कार्यान्वयन की बाध्यताओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति तथा उपलब्ध क्षमता का आकलन करेगा तथा इस निर्णय की सूचना आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 45 दिन के अन्दर आवेदक को देगा।

(4) वितरण अनुज्ञापी उपलब्ध क्षमता या कार्यान्वयन की बाध्यताओं की उपस्थिति, जो आयोग द्वारा जारी सुसंगत सिद्धान्तों व मार्ग दर्शन के अनुरूप हो, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा।

(5) बिना प्रणाली को अधिक सशक्त किये उन्मुक्त अभिगमन प्रदान कर सकने की स्थिति में वितरण अनुज्ञापी आवेदन प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के अन्दर आवेदन को उन्मुक्त अभिगमन की स्वीकृति से अवगत करायेगा।

(6) जहां वितरण अनुज्ञापी की राय में प्रणाली को अधिक सशक्त किये बिना या अन्य कार्यान्वयन की बाध्यताओं के कारण उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति नहीं दी जा सकती, वहां कार्यान्वयन की बाध्यताओं को दूर करने तथा प्रणाली को सशक्त करने हेतु ऐसी अतिरिक्त संभावनाओं, अनुमानित मूल्य व अपेक्षित कार्य पूर्ति के पश्चात् उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति की संभावित तिथि की वितरण अनुज्ञापी पहचान करेगा तथा आवेदन प्राप्ति की

तिथि से 90 दिन के अन्दर आवेदन को तद्नुसार सूचना दी जायेगी।

9. संविदाकृत उन्मुक्त अभिगमन क्षमता का अनुप्रयोग :

(1) उन्मुक्त अभिगमन के अन्तर्गत संविदाकृत क्षमता के पूरी तरह उपयोग न होने की स्थिति में इस उद्देश्य हेतु बनाई गई शर्तो के अनुसार क्षमता का एक भाग उपभोक्ता वापस कर सकता है।

(2) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा संविदाकृत क्षमता के पूरी तरह उपयोग न होने की स्थिति में वितरण अनुज्ञापी उपभोक्ता से अपूर्ण उपयोग का स्पष्टीकरण देने के लिए कर सकता है तथा उसके पश्चात् उपभोक्ता को सूचित कर उन्मुक्त अभिगमन के अन्तर्गत आवंटित क्षमता को खत्म या कम कर सकता है।

(3) आवंटित क्षमता खत्म या कम करे, जाने की स्थिति में, इस विषय का निर्धारण कि कोई भुगतान दिया जाना है या नहीं सम्बन्धित पक्षों द्वारा आपस में तय किया जायेगा।

10. लागू प्रभार :

(1) उन्मुक्त अधिभार उपभोक्ता, व्हीलिंग प्रभार, अधिभार, अतिरिक्त अधिभार अथवा ऐसे अन्य प्रभार, जो अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के निर्वाह में समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, का भुगतान करे।

(2) उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रभार निर्धारण करते समय आयोग, प्रणाली में हानि के समायोजन हेतु मुद्रा के रूप में या स्रोत से अन्तःक्षेपित विद्युत अथवा गन्तव्य पर परिदत्त विद्युत की मात्रा के रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रावधान कर सकता है।

11. अन्य शर्तें :

(1) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता तथा राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता व राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों का पालन करेगें।

(2) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय–समय पर बनाये गये, सभी लागू उपनियमों, निर्देशों, मार्गदर्शक सिद्वान्तों तथा आदेशों का पालन करेगें।

12. व्यावृत्ति :

(1) न्याय का उद्देश्य पूरा करने हेतु जैसा इन विनियमों में कुछ भी आवश्यक हो, आयोग को वैसे आदेश बनाने की शक्ति को अन्यथा प्रभावित करने या सीमित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

(2) इन विनियमों द्वारा कुछ भी, इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से भिन्न प्रक्रिया, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, अपनाने में आयोग के लिये बाधित नहीं होगा, यदि आयोग, उक्त मामले की विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से ऐसा मामला या मामले निपटाने हेतु समीचीन समझता हो।

(3) जिन के लिए, कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं, ऐसे मामलों में कार्यवाही करने पर या अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का निर्वाह करने में इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विपक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, इस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

13. कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां :

यदि इन विनियमों में प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के अनुरूप, ऐसे निर्देश दे सकता है, जो आयोग को कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन लगते हों।

14. संशोधन की शक्ति :

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी प्रावधान में अभिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।